रजिस्ट्रेशन अधिनियम – 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : राजीव शर्मा S/o रमेश चन्द्र शर्मा
प्रेसीडेन्सी कालेज आफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलोजी शताब्दी नगर, मेरठ।

बायें हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बायें हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

Secretary
Presidency College of Ed... Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

SITE PLAN OF NS-1 SHATABDI NAGAR

EAST = 115.00 M
WEST = 115.00 M
NORTH = 45.00 M
SOUTH = 45.00 M.

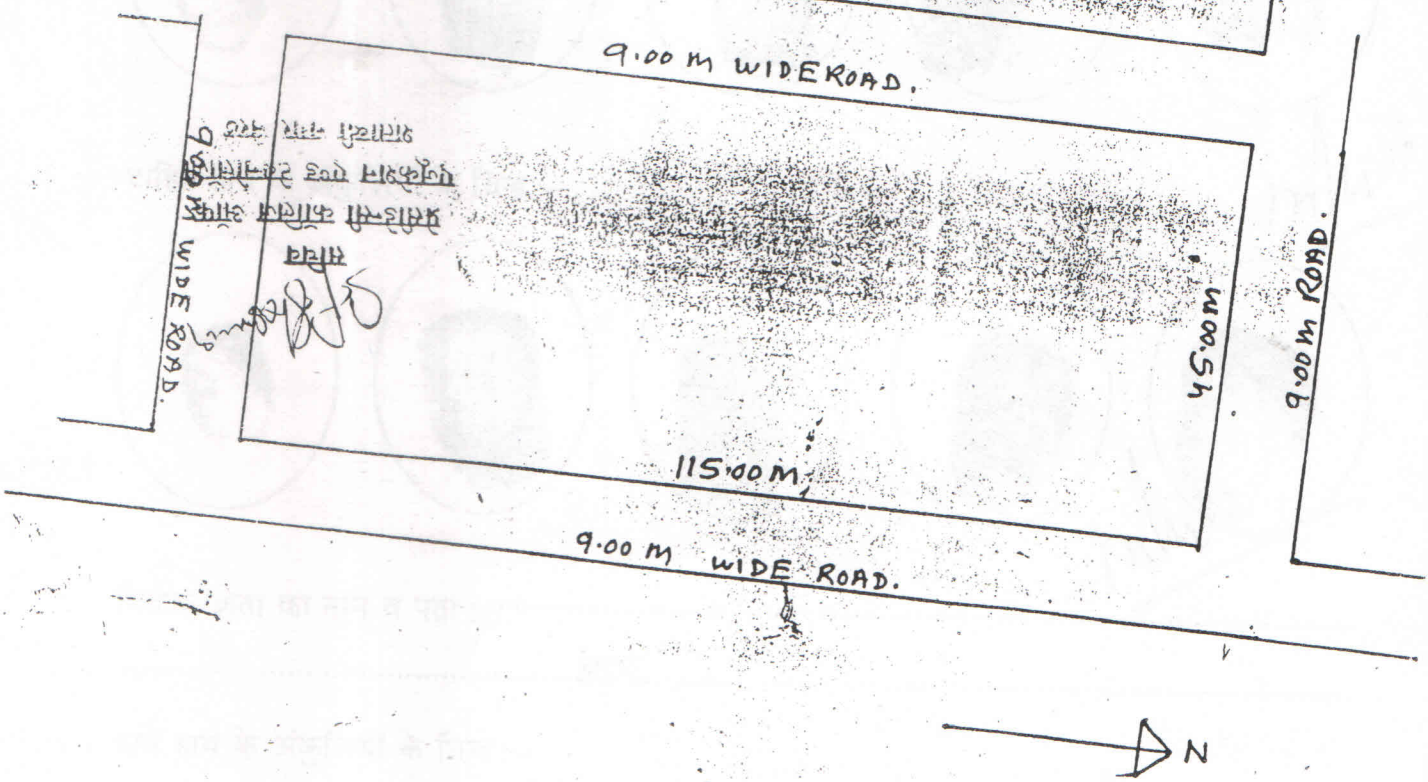

(J.E.)

(A.E.)

(E.E.)
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलेज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

(घ) यह भी पक्षों को स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण के द्वारा द्वितीय पक्ष के अधिक धन, जो भूखण्ड अथवा उस पर निर्माण की अन्तिम मूल्य की गणक होने के पश्चात सम्भावित मूल्य बढ़ने पर मांगा जा सकता है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एक मात्र जज होगें यह तय करने के लिए कि कितना और अधिक धन द्वितीय पक्ष द्वारा देय है। द्वितीय पक्ष को प्राधिकरण अथवा उपाध्यक्ष के द्वारा दिये गये निर्णय को किसी प्रकार चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा दिया गया यह निर्णय अन्तिम होगा।

(च) भविष्य में यदि न्यायालय द्वारा तथा अन्य किसी कारणों से भू प्रतिकर की धनराशि बढ़ने से भूखण्ड की कीमत में वृद्धि होती है तो वह आवंटी के द्वारा देय होगी तथा आवंटी इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दावा दायर नहीं करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

साक्षी : (1) राजीव प्रकाश शर्मा, 954 मास्टर कालोनी S/o श्री रमेश चन्द्र शर्मा ब्रह्मपुरी मेरठ।

(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
प्राधिकरण की ओर से

S.P.Sharma

साक्षी : [illegible]

साक्षी : d. sharma
दीपक शर्मा S/o श्री [illegible] शर्मा
[illegible] 1510 [illegible], मेरठ

S.P.Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

साक्षी : पंकज शर्मा S/o श्री महेन्द्र पाल शर्मा
751 ब्रह्मपुरी, मेरठ।

S.P.Sharma
पट्टेदार

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रत्येक प्रकार से मूल की सही तथा शुद्ध प्रति है।

पट्टेदार S.P.Sharma

(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

उत्तर प्रदेश

(15) यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ या सेना या अनियन्त्रित भीड़ द्वारा किये गये हिंसापूर्वक कार्यो या अन्य अप्रतिरोध शक्ति प्रयोग के कारण पट्टा भूखण्ड का कोई सारभूत भाग पूर्णतया या आंशिक रूप से नष्ट हो जाये या वह भवन प्रयोजनार्थ सारभूत रूप से या स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाये तो ऐसी दशा में पट्टेदार न तो इस पट्टे को समाप्त करने के अपने विकल्प को काम में लायेगा और न ही उनके कारण हुई क्षति की पूर्ति कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण को उत्तरदायी ठहरायेगा ।

(16) यह कि पट्टेदार को पट्टा भूखण्ड पर दिनांक 1-11-2005 तक भवन का निर्माण करना और उसे पूरा करना आवश्यक होगा । पट्टेदार द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण को अधिकार होगा कि पट्टा निरस्त करके पट्टा भूखण्ड को वापिस प्राप्त कर लें ।

3. और इस विलेख के पक्षों द्वारा तथा उनके बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित सम्बन्ध में सहमति और घोषणा की जाती है :—

(क) इसके पूर्व किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, यदि प्राधिकरण के मतानुसार (जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकर होगा) पट्टेदार अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा इससे पूर्व की शर्तों प्रसंविदाओं में से किसी का उल्लघन किया गया हो, जिनका पालन तथा सम्पादन किया जाना कर्तव्य था विशेषतया और इस उपखण्ड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि पट्टेदार पूर्वोक्त प्राविधान के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के पूर्व पट्टा भूखण्ड का अन्तरण, परित्याग, बन्धक या अभ्यपर्ण करता है या पूर्वोक्त खण्ड 2 (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर इस विलेख में उल्लिखित प्रीमियम की किसी किश्त का भुगतान नहीं करता है या यदि पट्टेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इस पट्टे का अधिकार एतद्द्वारा निहित किये गये हों दिवालिया निर्णीत हो तो प्राधिकरण के लिये यह वैध होगा कि (अनुबन्ध के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वह पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग पर अन्तरित सम्पूर्ण भूखण्ड के नाम पर पुनः प्रवेश कर ले और यह पट्टा समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् :—

(1) यदि पुनः प्रवेश के समय पट्टा भूखण्ड पर पट्टेदार द्वारा भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तो ऐसी दशा में प्राधिकरण पट्टा भूखण्ड का पुन आवंटन कर सकेगा और इस पट्टे को समाप्ति या पट्टेदार द्वारा अभित्यजन जैसी भी स्थिति हो, के दिनांक तक प्रीमियम की सभी किश्तों पर देय सम्पूर्ण ब्याज तथा पट्टे के किराये के वकाये को काटकर और साथ ही कुल उपरिलिखित प्रीमियम का 5 प्रतिशत काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज पट्टेदार को लौटा देगा पर उपरोक्त इस शर्त के अधीन होगा कि न्यूनतम काटी गयी धनराशि 250/- रुपये से कम न होगी ।

(2) यदि पुन प्रवेश के समय, पट्टेदार द्वारा पट्टा भूखण्ड पर किसी भवन का निर्माण किया गया हो, तो पट्टेदार पुनः प्रवेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस पर से सभी निर्माण कार्य भवनें जुड़नार तथा वस्तुयें जो किसी समय या उक्त अवधि के दौरान उक्त भूखण्ड पर या उससे जुड़ी या लगाई गई हो, हटा लेगा और उक्त स्थान को ऐसी अच्छी दशा में लायेगा जैसे कि वह पट्टा देने के समय थी पर उपरोक्त के सम्बन्ध में चूक किये जाने पर उक्त भूखण्ड और उस पर होने वाले भवनें, जुड़नार और वस्तुओं के सम्बन्ध में पट्टेदार को किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना प्राधिकरण की सम्पत्ति हो जायेगी यद्वि पट्टेदार पूर्व निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्यों, भवनों, जुड़नारों और वस्तुओं को हटा लेता है तो पट्टा भूखण्ड का पुनः आवटन कर दिया जायेगा और पट्टेदार को उपरोक्त उपखण्ड (1) में दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार निकाली गयी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकरण अपने विवेकानुसार उनके लिये पट्टेदार से उक्त निर्माण कार्यों, भवनों और जुड़नारों का क्रय करने के लिए और भूमि में होने वाले हितों को क्रय करने के लिये सहमत हो सकेगा जैसा कि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति हो जाये ।

(ख) यदि प्राधिकरण को पट्टेदार द्वारा या उनके माध्यम या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के उल्लघन के कारण भूखण्ड का नया पट्टा स्वीकार करने के कारण कोई हात्रि वहन करनी पड़ती है तो ऐसी हानि की वसूली प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार से की जा सकेगी ।

(ग) यदि इस विलेख के अधीन किसी नोटिस दिये जाने की अपेक्षा की गयी हो, तो वह उस दशा में पट्टेदार पर दी गई यह यथेष्ट समझी जायेगी जबकि वह प्राधिकरण के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो और उसे पट्टा भूखण्ड पर छोड़ दिया गया हो और प्राधिकरण के किसी निर्णय की अधिसूचना को, ऐसे निर्णय का यथेष्ट साक्ष्य उस दशा में समझा जायेगा जबकि उस पर प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हों ।

अधिशासी अभियन्ता

MANAGER

(7) कि पट्टेदार प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र तथा अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त भवनों या पट्टा भूखण्ड पर तत्समय होने निर्माणों में न तो कोई परिवर्धन या परिवर्तन करेगा या उनके किए जाने की अनुमति देगा और न कोई नया निर्माण करेगा अथवा करने की अनुमति देगा और यदि ऐसी शर्तों या रेखा चित्रों से किसी प्रकार का कोई अन्तर होगा तो वह प्राधिकरण की नोटिस की प्राप्ति के तुरन्त बाद ऐसे अन्तर को उपरोक्तानुसार ठीक कर लेगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति के एक पंचांग मास के भीतर यदि पट्टेदार ऐसे अन्तर को सही करने में असावधानी बरतेगा तो प्राधिकरण के लिये वह बंध होगा कि पट्टेदार एतद्द्वारा करार करता है कि वह उक्त धनराशि की, जिसे प्राधिकरण तदर्थ निश्चित करे तथा जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, प्रतिपूर्ति भुगतान द्वारा प्राधिकरण को कर देगा।

(8) कि पट्टेदार प्राधिकरण की सहमति के बिना उक्त पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का प्रयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ या उपरिलिखित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किए जाने की अनुमति देगा और यदि प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुमति प्रदान की जायेगी तो पट्टेदार उसमें उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का पालन करेगा। पट्टेदार उक्त भूखण्ड अथवा भवन पर या उसके किसी भाग पर न तो कोई ऐसा काम करेगा और न करायेगा जो प्राधिकरण को या पास पड़ोस के अन्य भुस्थानों, स्वामियों या अध्यासियों को कंटक स्वरूप प्रतीत होता हो या जिससे उन्हें क्षति, अड़चन या असुविधा होती हो।

(9) कि पट्टेदार किसी भी दशा में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा भूखण्ड का अभ्यर्पण, परित्याग (प्राधिकरण के पक्ष के अतिरिक्त) न करेगा और न बन्धक रखेगा और न ही उसे शिकमी उठायेगा या अन्तरित करेगा और न ही उस पर होने वाले दखल को छोड़ेगा। प्राधिकरण को अपने स्व-विवेकानुसार ऐसी अनुमति प्रदान करने या न करने का अधिकार होगा और ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने की दशा में प्राधिकरण अपने साथ ऐसे अनुबन्ध के निष्पादन किए जाने की हस्तान्तरिती से अपेक्षा करेगा, जिसे प्राधिकरण प्रस्तुत करे।

(10) कि पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम उसके किसी भाग को तथा उस पर बने भवन को या उसके किसी भाग को या दोनों को न तो अभ्यर्पित व परित्याग करेगा और न ही उन्हें बन्धक रखेगा और न शिकमी उठायेगा और न अन्तरित करेगा और न वह उन्हें खण्डित करके या किसी अन्य प्रकार से उनका उपविभाजन करेगा।

(11) सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड या भवन या दोनों के सम्बन्ध में किया गया प्रत्येक अन्तरण, अभ्यर्पण परित्याग, बन्धक या शिकमी पर उठाया जाना इस विलेख में उल्लिखित सभी प्रसंविदाओं तथा शर्तों के अधीन होगा और जो कि सब अन्तरिती अभ्यर्पिती या शिकमी किरायेदारों पर बाध्यकर होंगे और वे इस सम्बन्ध में उनके लिये प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होंगे। किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह होगा कि जब कभी पट्टेदार या उसके अन्तरिती या अनुमति प्राप्त अभ्यर्पिती, जैसी भी दशा हो पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन को उक्त अवधि या उसके शेष अवधि के लिए अभ्यर्पित, परित्याग बन्धक करेंगे, शिकमी पर उठायेंगे या अन्तरण करेंगे तो वे अपने खर्च पर प्राधिकरण के कार्यालय में अभ्यर्पण, परित्याग, बन्धक या अन्तरण विलेख की एक प्रमाणित प्रति भी जमा करेंगे तथा इसके साथ ही इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट या किसी अन्य ससोधनात्मक सविधि के अधीन विधिवत प्रकार से उसका रजिस्ट्रीकरण होने के पश्चात एक मास के भीतर उसकी सूचना भी प्राधिकरण को देंगे।

(१२) कि पट्टेदार प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों और उसके कर्मकारों तथा उसके द्वारा समय-समय पर सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान सभी समुचित समयों पर, पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिसमें कि वे उनका निरीक्षण तथा पूर्वोक्त वर्णित आवश्यक कार्यों का निर्माण कर सकें, पर ऐसा किये जाने के पूर्व प्राधिकरण पट्टेदार को उक्त प्रयोजनार्थ तीन दिनों का पूर्व नोटिस देगा और पट्टेदार इस उपखण्ड के उपबन्धों की नोटिस अपने किरायेदारों को देगा।

(१३) कि पट्टेदार प्राधिकरण द्वारा विहित शिल्पकला तथा उद्विक्षेप नियन्त्रण के अनुसार भवन का निर्माण करेगा। अर्ध पृथक मकानों की दशा में, जिनमें दोनों प्लाट धारक विहित उद्विक्षेप से अतिरिक्त उद्विक्षेप को ग्रहण करना चाहे तो प्राधिकरण ऐसे पट्टेदारों को ऐसा किया जाने की अनुमति प्रदान कर देगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दोनों की ऊँचाई तथा सैट बैंक एक ही हो।

(१४) कि सिवाय उस सीमा तक जिसके लिये प्राधिकरण ने पट्टेदार को लिखित अनुमति प्रदान की हो, पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के किसी भाग पर न तो कोई अस्तबल शेड या अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य करेगा अथवा घोड़े, चौपाये, कुत्ते, कुक्कुट या अन्य पशु रखने के लिये स्थान बनायेगा और न ही उनके बनाये जाने की अनुमति देगा।

PRINCIPAL
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut
Secretary
MEERUT - 250 002

और उस उक्त भूखण्ड की सीमाओं को संलग्न रेखा चित्र में दिखाया गया हैं और उसमें लाल रंग से रंग दिया गया है, वह सभी भूखण्ड एतद्द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर देता है ताकि पट्टेदार उक्त भूखण्ड (जिसे आगे चलकर "पट्टा भूखण्ड" कहा गया हैं) और उससे सम्बन्ध अधिकारी को दिनांक 14-6-2001 से 90 (नब्बे) वर्ष की अवधि के लिये धारण करें किन्तु प्राधिकरण के पक्ष में निम्नलिखित अधिकार सदैव आरक्षित होंगे—

(क) यदि प्राधिकरण उक्त क्षेत्र का विकास किया जाना आवश्यक समझे तो पट्टा भूखण्ड के नीचे तथा ऊपर जल सम्वाहक, नालियां, सीवरों या बिजली के तारों को डालने, बनाने या बिछाने के अधिकार।

(ख) पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग में होने वाले सभी खानों और खनिजों के सम्पूर्ण अधिकार तथा आगम।

(ग) चीज रेन्ट की सम्पूर्ण 90 वर्ष की अग्रिम धनराशि प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। रु. 8450-00 की धनराशि के किराये का, जो कि दिनांक 2-11-2090 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्त तक के लिये है, भुगतान पहले ही किया जा चुका है जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2 पट्टेदार प्राधिकरण के साथ एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा तथा प्रसंविदा करता है।

(1) पट्टेदार प्रीमियम का बकाया धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को ऊपर खण्ड-1 में वर्णित किश्तों में, उसमें वर्णित दिनांकों के भीतर कर देगा। यदि पट्टेदार किसी किश्त को उसके भुगतान के लिए नियत दिनांक के एक मास के भीतर भुगतान करने में असफल होगा तो वह तत्पश्चात् बकाया किश्त का नियत दिनांक से भुगतान के दिनांक तक 14% प्रतिवर्ष ब्याज की दर सहित भुगतान करेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि तीन लगातार किश्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा तो प्राधिकरण तत्पश्चात् खण्ड-3 में उल्लिखित शास्ति और परिणामों पर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा।

(2) पट्टेदार बिना किसी कटौती के उक्त वार्षिक किराये का भुगतान प्राधिकरण के कार्यालय में या अन्य किसी निर्देशित स्थान पर नियत दिनांकों पर और भुगतान के लिए इस विलेख में वर्णित रीति के अनुसार करेगा और यदि उक्त पट्टे का वार्षिक किराया या उसका कोई भाग बकाया में रह जायेगा तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज तथा खर्च सहित उसकी वसूली कर ले।

(3) पट्टेदार सभी दरों, करों, परिव्ययों और प्रत्येक प्रकार के ऐसे अवधारणों को, जो कि उक्त अवधि में पट्टा भूखण्ड पर या उस पर निर्मित होने वाले भवनों के सम्बन्ध में स्वामी या किरायेदार या अध्यासी पर अवधारित, भारित या आरोपित किये जाएँ, वहन, भुगतान तथा निस्तारण करेगा।

(4) कि पट्टेदार मेरठ विकास प्राधिकरण और नगर महापालिका मेरठ की वर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी ऐसी उपविधियों तथा नियमों का पालन एवं अनुपालन करेगा जो स्थावर सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हो या जो उक्त स्थान के अन्य निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालते हों।

(5) कि पट्टेदार अपने खर्च से पट्टा भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित रेखाचित्र, वास्तुविन्यास तथा डिजाइन और स्थिति के अनुसार एक आवासीय भवन का सारभूत एवं शिल्प कौशल रूप में निर्माण करायेगा जिसमें भवन, नालियों, शौचालयों तथा सीवर संयोजनों के सम्बन्ध में विहित प्राधिकरण तथा उक्त महापालिका नियमावली तथा उप-विधियों के अनुसार सभी आवश्यक सीवरों, नालियों तथा अनुलग्नकों का प्रावधान होगा।

(6) कि पट्टेदार सदैव प्राधिकरण के समाधानानुसार पट्टा भूखण्ड तथा भवनों को अच्छा और सारभूत प्रकार से मरम्मत करवायेगा और उन्हें स्वच्छ दशा में रखेगा।

S.P. Sharma
MANAGER
PRESIDENCY PUBLIC SCHOOL

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut
PRESIDENCY PUBLIC SCHOOL
Sector-1, Shatab
MEERUT - 250 00

मे० वि० प्रा० फार्म सं०—9

आवासिक क्षेत्र में शैक्षिक भवन निर्माणार्थ

मेरठ विकास प्राधिकरण की भूमि का पट्टा

यह विलेख सन् 2001 ई० के माह 6 के 19 वें दिन

को मेरठ विकास प्राधिकरण (जिसे आगे चलकर "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी तथा अभ्यार्पिती सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष

तथा कृष्णा एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री शशी प्रकाश शर्मा पु/o (चिरंजी लाल शर्मा) 1143 मास्टर कालोनी ब्रह्मपुरी मेरठ

जिसे आगे चलकर "पट्टेदार कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रतिविधि तथा अनुमति प्राप्त अभ्यार्पिती सम्मिलित होंगे। दूसरे पक्ष के मध्य लिखा गया।

चूंकि भवनों के निर्माणार्थ भूखण्डों के निस्तारण से सम्बन्धित बनाये गये नियमों के अधीन विकास प्राधिकरण एतत्पश्चात् उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों पर मेरठ क्षेत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित सैट बैक तथा रेखाचित्र के अनुसार शैक्षिक भवन के निर्माण हेतु आगे चलकर वर्णित भूखण्ड को पट्टे पर देने और पट्टेदार उसे पट्टे पर प्राप्त करने में सहमत हुए हैं।

अतः यह पट्टे का विलेख निम्न बातों का साक्षी है :—

1. कि रुपये 925650 (लीज रेन्ट सहित) (रुपये शब्दों में) नौ लाख पच्चीस हजार छः सौ पचास मात्र

के प्रीमियम के प्रतिफल स्वरूप, जिसमें से रु० 925650.00 (रुपये शब्दों में नौ लाख पच्चीस हजार छः सौ पचास मात्र का भुगतान पट्टेदार द्वारा प्राधिकरण को किया जा चुका है। (जिसकी प्राप्ति प्राधिकरण द्वारा एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है) तथा जिसके बकाये का भुगतान पट्टेदार द्वारा नीचे उल्लिखित किस्तों तथा दिनांकों पर आगे उल्लिखित रीति से किया जायेगा।

S. P. Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

तथा एतद्द्वारा आरक्षित किराये और इसमें उल्लिखित प्रसंविदाओं, प्राविधानों तथा अनुबन्धों तथा पट्टेदार द्वारा क्रमशः उनके भुगतान, अनुपालन तथा सम्पादन किये जाने के प्रतिफल संकरण भी, प्राधिकरण एतद्द्वारा मेरठ में शताब्दीनगर में स्थित शैक्षिक प्लाट संख्या 1-5-I का जिसका क्षेत्रफल 5175.00 वर्ग मीटर या उससे कुछ अधिक या कम होगा और जिसका सीमांकन निम्न प्रकार है :—

उत्तर की ओर 45 मीटर

दक्षिण की ओर 45 मीटर

पूरब की ओर 115 मीटर

पश्चिम की ओर 115 मीटर

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
गोपेश पाराशरी

100Rs.

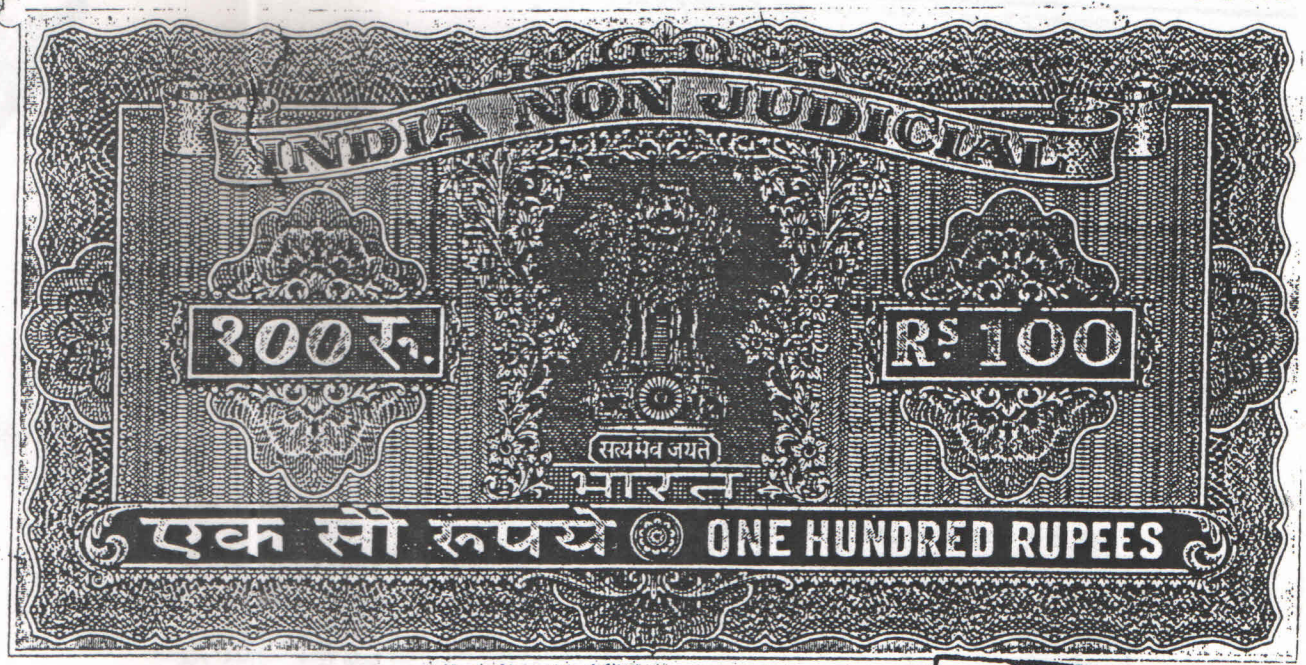

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.   Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
- 4 JUN 2001
MEERUT

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 100/– (एक सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

क्रेता

S. P. Sharma

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

S. P. Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

500R

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
14 JUN 2001
MEERUT

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 500/– (पाँच सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

क्रेता

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

250209

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
14 JUN 2001

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) का शृंखला स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

क्रेता
S-P-Sharma

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी

1000Rs.

250208

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
14 JUN 2001
MEERUT

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर–1 में आवंटित शैक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

क्रेता

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

3441

0JCC 230560

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 20000/– (बीस हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1. के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut.

क्रेता

विक्रेता
([illegible])
अधिशासी अभियन्ता

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

01CC 230561

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रुपया 20000/– (बीस हज़ार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

S.P. Sharma

सचिव

Secretary

Presidency College of Education & Tech.

Shatabdi Nagar, Meerut

प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी शताब्दी नगर मेरठ

क्रेता

S.P. Sharma

विक्रेता

(योजना लिपिक)

अधिशासी अभियन्ता

सचिव

प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ

एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

शताब्दी नगर मेरठ

3645

1888

0JDD 225113

पट्टा – विलेख

कुल स्टाम्प रूपये 92600/– (रूपये बानवें हजार छः सौ मात्र)

यह स्टाम्प रूपया 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

सचिव
Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर, मेरठ

(योगेश सक्सेना)
विक्रेता
अधिशासी अभियन्ता

क्रेता
S.P.Sharma

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

क्र.सं. 2 — 01/2001

श्री कृष्णा सेफ्रुकेशनल सोसाइटी — मास्टर कालोनी ब्रह्मपुरी

द्वारा प्रबन्धक श्री शशी कुमार

01/2001

बीबीईज 125650/-

5020/-

नि० शुल्क — — — रुपये — — मात्र —

श्री/श्रीपति — श्री प्यारेलाल — ग्रोवर

निवासी — — जागृति विहार

ने यह लेखक उप निबन्धक के कार्यालय में आज

दिनांक 19.6.2001 को — — बजे दिन के मध्य

निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

19.6.01

S P Sharma

निष्पादन

श्री मुकेश कुमार — श्री शशी कुमार — प्रबन्धक — कृष्णा एजुकेशनल सोसाइटी MOA — दिनांक 17.3.2001

ने कृषक इस राशि — — — — —

मेरे समक्ष प्राप्त करके स्वीकार किया जिनकी पहचान

श्री — — पुत्र श्री — ओ०पी० सिंह

निवासी — — — — — —

व श्री प्रमोद कुमार शर्मा Advocate

निवासी

19.6.01

S P Sharma

पत्रांक 1123 /सात–भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2011–12 दिनांकः 17 –08–2013

विषयः– महाविद्यालयों के पाठयकमों/विषयों में उपलब्ध कराये गये अनापत्ति प्रस्तावो के सम्बन्ध में ।

कुलसचिव
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 46/सम्बद्वता दिनांक 17–4–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा **प्रेसीडेन्सी कॉलिज आफॅ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी शताब्दी नगर मेरठ** के सम्बन्ध मे 16 बिन्दुओ पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है । इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी मेरठ से जांच करायी गई । उन्होने अपने पत्र संख्या 1265(18)/एस0टी0 दिनांक 26–6–2013 के अर्न्तगत निर्धारित बिन्दुओ पर निम्न प्रकार आख्या उपलब्ध करायी गयी है :–

1– प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम प्रेसीडेन्सी कॉलिज आफॅ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी शताब्दी नगर मेरठ है ।

2– नवीन प्राठयकम बी0एस0सी0 होम साईसं पाठयकम हेतु अनापत्ति चाहिये ।

3– महाविद्यालय की सोसायटी का कृष्णा एजूकेशन सोसायटी है जिसका पंजीकरण दिनांक 16–12–2008 को डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ में हुआ है और 16–12–2008 से पॉच के लिये नवीनीकरण है । (प्रमाण पत्र की छाया प्रति सलंग्न है)

4– सोसायटी की आर्थिक स्थिति सुदृढ है । दो वर्ष की बैलन्स शीट की छाया प्रति सलंग्न है ।

5– महाविद्यालय वर्ष 2008–2009 से पूर्व में संचालित है । जिसमें बी0बी0ए0 व बी0सी0ए0 एवं बी0एड0 पाठयकम कम को चौ0 चरण सिंह विश्वविधालय मेरठ द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान की गई है । छाया प्रति सलंग्न है ।

6– महाविद्यालय की सोसायटी के नाम मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा अपनी योजना शताब्दीनगर में भूखण्ड संख्या एन–5–1 रकबा 5175 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा दिनांक 19–6–2001 को पंजीकृत किया गया है । (पट्टे की छाया प्रति सलंग्न है)

7– महाविद्यालय के नाम प्रस्तावित भूमि को सोसायटी द्वारा दिनांक 25–3–2008 को प्रस्ताव पारित कर दिनांक 24–7–2008 को लीजडीड द्वारा 30 वर्ष के पट्टे पर दी गयी है । (पट्टे की छाया प्रति सलंग्न है)

8– मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा निष्पादित पट्टे में प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व कृष्णा एजूकेशन सोसायटी मेरठ के नाम अंकित है । (पट्टे की छाया प्रति सलंग्न है)

9– महाविद्यालय के लिये प्रस्तावित भूमि को विद्यालय की सोसायटी के नाम मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे के माध्यम से भूमि आवंटित की गई है जोकि एक ही भूखण्ड है ।

10– शासनादेश संख्या 4070/सत्तर–2–2011(686)/2011 दिनांक 20–4–2012 के अनुसार महाविद्यालय की भूमि के सर्म्पक मार्ग की चौडाई 25 फीट है ।

11– उ0प्र0 राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है क्योकि प्रस्तावित भूमि को मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा आवंटित किया गया है ।

12– प्रस्तावित भूमि किसी योजना से आच्छादित नही है ।

13– प्रस्तावित भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा आवंटित की गयी है, इसलिये 143 व 176 के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है ।

14– प्रस्तावित भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा आवंटित की गयी है, इसलिये फसली वर्ष 1359 फ0 की खतौनी एवं फसली वर्ष 1360 का खसरा की आवश्यकता नही है ।

15– प्रस्तावित भूमि में नजूल,शत्रु एवं निष्कान्त सम्मलित नही है ।

16– प्रस्तावित भूमि एक ही भूखण्ड में स्थित है ।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 585/मु0म0/सत्तर–2–2005–2(168)/2002 दिनांक 21–10–2005 के प्रस्तर–1(घ) एवं 743/मु0म0/सत्तर–2–2006–2(168)/2002 दिनांक 7–11– 2006 के अर्न्तगत दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार महाविधालय हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 10000 वर्ग मीटर नगर निगम शहरी क्षेत्र हेतु 5000 वर्ग मीटर भूमि का मानक निर्धारित किया गया है । **तहसील आख्या के अनुसार संस्था शहरी क्षेत्र में स्थित है और उसके के नाम लीजडीड के माध्यम से 5175 वर्ग मीटर भूमि है । परन्तु शैक्षिणिक मानक/औपचारिकताये पूर्ण कराने का दायित्व कुल सचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविधालय मेरठ का होगा ।**

अतः उक्तानुसार उपजिलाधिकारी मेरठ आख्या 26–6–2013 की छाया प्रति सलंग्नक सहित सलंग्न कर आपके पास इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 14–8–2013 के अर्न्तगत भू–अभिलेखीय आख्या का अनुमोदन कर, तदानुसार आपको अवगत कराने के निर्देश दिये है।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार

16/8/13

(दीप चन्द्र)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 499119

"शपथपत्र"

समक्षः— कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

यह है कि हिमांशु शर्मा, पुत्र श्री एस0 पी0 शर्मा, निवासी 13 राजकमल एन्क्लेव, दिल्ली रोड, मेरठ, शपथपूर्वक स्वीकार करते हुये प्रमाणित करते है कि :—

1. यह है कि शपथकर्ता के उपरोक्त नाम एवं पता पूर्ण रूप से सही है।
2. यह है कि मै प्रेसीडेन्सी कालिज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, शताब्दी नगर, मेरठ में निदेशक पद पर होने के नाते ये शपथपत्र देने के पूर्ण उत्तरदायी है।
3. यह है कि प्रेसीडेन्सी कालिज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, शताब्दी नगर, मेरठ संस्थान ने अपने भूमि सम्बन्धी समस्त अभिलेख/दस्तावेज अपनी वैबसाइट पर अपलोड कर दिये है।
4. यह है कि समस्त भूमि सम्बन्धी अभिलेख/दस्तावेज विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड कराने के लिये शपथपत्र तैयार कराया गया है।

यह है कि शपथपत्र की धारा 1 से 4 तक हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास में सब सत्य है इसमें कुछ भी झूठ नहीं है न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

प्रमाणित स्थान :— मेरठ

हिमांशु शर्मा
सचिव

ATTESTED
16/6/15
AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT